मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, बिटटन मार्केट, ई–5, अरेरा कालोनी,
भोपाल – 462016
फोनः 0755–2463585, 2430154, फैक्सः– 0755–4004137
ई मेलः– secretary@mperc.nic.in वैबसाईटः– www.mperc.in

क्रमांक मप्रविनिआ/संचा. (एल. एण्ड आर)/2026/1010 भोपाल, दिनांक 16/06/2026

: सार्वजनिक सूचना :

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 वर्ष 2003) की धारा 181 सहपठित धारा 61(ज) एवं 86 (1)(ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (ऊर्जा के नवकरणीय स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन) (पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम, 2021 {आरजी–33(II), वर्ष 2021} में संशोधन किया जाना प्रस्तावित करता है। उक्त विनियम का प्रारुप आयोग की वेबसाईट **www.mperc.in** पर उपलब्ध है।

वे व्यक्ति, जो उक्त विनियम के प्रारूप पर अपने सुझाव/आपत्तियां/टीप प्रस्तुत करना चाहें, लिखित में आयोग सचिव, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई–5, अरेरा कालोनी बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016 को दिनांक **10.07.2026** तक प्रेषित कर सकते हैं। सुझाव/आपत्तियॉ/टीप ई–मेल से **secretary@mperc.nic.in** पर अथवा **directorlnrmperc@gmail.com** या फैक्स से फोन क्रं. **0755–4004137** पर भी प्रेषित किये जा सकते हैं। उपरोक्त विनियम के प्रारूप की प्रति किसी भी कार्यालयीन दिवस को, दिनांक **10.07.2026** तक प्रातः 11:00 बजे से सायं 5:00 बजे के मध्य आयोग कार्यालय से रू. 15/–(प्रति सेट) के नगद भुगतान द्वारा अथवा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल को देय डिमांड ड्राफ्ट के भुगतान द्वारा प्राप्त की जा सकती है। यह प्रति डाक द्वारा रु. 50/–(रू. 15/– प्रति सेट + रू. 35/–डाक व्यय हेतु) का भुगतान करने पर भी प्राप्त की जा सकती है।

आयोग द्वारा दिनांक **22.07.2026** को प्रातः **12.00** बजे हायब्रिड मोड के माध्यम से जन सुनवाई की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति जिन्होंने समय सीमा में अपने लिखित सुझाव/आपत्तियां/टीप प्रस्तुत किए हैं, वे आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा अपने मोबाईल नम्बर एवं ई–मेल आई.डी. की सूचना आयोग को देकर, उक्त जनसुनवाई में आयोग की वैबसाईट पर उपलब्ध गाईड लाईन्स के अनुसार भाग लेकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता.
(डॉ. उमाकान्त पाण्डा)
सचिव,म.प्र.वि.नि.आ.